न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/130/19	10–10–2019	24–12–2019

1. श्रीमती भूतेरी देवी पत्नि श्री यादराम जाति अहीर निवासी ग्राम कस्बा डहरा तहसील व जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर।

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर दिनांक 05.03.2018 प्रकरण संख्या 56/2017

उपस्थितः–

01. श्री मुनीराम यादव –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय प्रतिनिधि

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर, जिला अलवर के आदेश दिनांक 05–03–2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि पटवारी हल्का कस्बा डहरा ने तहत अदालत में एक रिपोर्ट पेश की कि ग्राम कस्बा डहरा के आराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 0.22 हैक्टर में से रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडक (सिवाय चक बिला लगानी) पर अपीलान्ट ने जोतकर अतिक्रमण कर लिया है। तहत अदालत द्वारा आलौच्य निर्णय पारित करते हुऐं अतिक्रमी माना जाकर बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधि व विरूद्व व बेजा तरीक पर पारित गए है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व बिना मौका निरीक्षण किये अपीलान्ट के विरूद्व गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की है। जबकि अपीलान्ट अपनी रिकोर्डड खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 515 पर काबिज रहकर काश्त करती आ रही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 514 से लगती हुई अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 515 स्थित है, मौके पर कोई गैर मुमकिन सडक अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी में नहीं है। अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहत अदालत को पेश किया उक्त भूमि की पैमाईश पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 7.2.18 के अनुसार खसरा नम्बर 514 का रका खसरा नम्बरन 515 से लगता हुआ है जिस पर अपीलान्ट का कब्जा है। खसरा नम्बर 515 का रकबा मौके पर कम है, आराजी खसरा नम्बर 514 पर किसी न्यायालय को स्थगन आदेश नही है। पटवारी हल्का द्वारा तहत

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

अदालत के समक्ष्या बिना तथ्यों पर गोर किये बिना रिकार्ड देखे बिना पैमाईश किये मोका रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर तहत अदालत द्वारा एक पक्षीय निर्णय किया है जाकर बेदखली की कार्यवाही अमल में लायी गई है। जो अपीलान्ट को हैरान तंग व परेशान करने की नियत से पेश की है। तहत अदालत ने ना तो मौके का निरीक्षण ही किया और नाही अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर ही दिया बिना समुचित सुनवाई किए अपीलान्ट के विरूद्व अपीलीय निर्णय पारित किया है। तहत अदालत ने अपीलीय निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मोका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्त एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि आराजी ख0नं0 514 रकबा 0.22 हैक्टर गैर मुमकिन सडक (सिवाय चक बिला लगानी) है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा 0.05 पर जोतकर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्व रिकार्ड में सिवाययक बिला लगानी दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर किये गये निर्माण को अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए अपीलीय निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आराजी ख0नं0 514/0.22 में से 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडक (सिवाय चक बिला लगानी) पर अपीलान्ट द्वारा नायज कब्जा कर जोतकर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। वकील अपीलान्ट के इस कथन का कि विवादित आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की आराजी लगती हुई है का लाभ नहीं दिया जा सकता। विवादित आराजी गैर मुमकिन सडक (सिवाय चक बिला लगानी) क्षेत्र में होने के कारण तहसीलदार अलवर के आदेश में हम कोई त्रुटी नहीं पाते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्या है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 05.03.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक **24–12–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर